**<u>न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़</u>।**

उपस्थितः श्री शमसुल रहमान.. उ०प्र०न्यायिक सेवा( यू०पी० 3475)

परिवाद सं० 441/2022

**UPHP120016652022**

**<u>Warrant or Summons Criminal Case/816/2022</u>**

**रोशन लाल बनाम मुजीब राना**

**अं०धारा–138 एन.आई.एक्ट**

**थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।**

<u>दिनांक 03.02.2023</u>

पत्रावली आज अदालत में पेश हुई। पुकारा गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आये।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र मयशपथपत्र अं०धारा 257 सीआरपीसी दिनांकित 03.02.2023 प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि उक्त मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें दिनांक 07.02.2023 नियत है। किन्तु उक्त मामले में अभियुक्त ने वादी की चेक बाबत रकम वापस कर दी है जो वादी ने प्राप्त कर ली है। अब कोई वाद विवाद शेष नहीं रहा है इस वजह से वादी उक्त मामले को वापस लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद को वापस करने की अनुज्ञा प्रदान करके मामले का निस्तारण किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से विदित है कि उक्त मामला परिवाद से सम्बन्धित है। यह कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थनापत्र आश्य का दिया गया कि उपरोक्त वाद में अभियुक्त ने वादी की चेक बाबत रकम वापस कर दी है जो वादी ने प्राप्त कर ली है। अब कोई वाद–विवाद शेष नहीं रहा है। इस कारण परिवादी उपरोक्त परिवाद को वापस लेना चाहता है। अतः परिवादी का वाद वापस किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

परिवादी का परिवाद वापस किया जाता है। विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शमसुल रहमान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर
हापुड़।